

प्रज्ञा,

**विश्व प्रज्ञा प्रसारण संस्थान, दिल्ली**

सेवा में,

**श्री. अशोक कुमार शर्मा, शिक्षक, विश्व प्रज्ञा प्रसारण संस्थान, दिल्ली**

विज्ञापन 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2020

विषय:-

**श्री. अशोक कुमार शर्मा, शिक्षक, विश्व प्रज्ञा प्रसारण संस्थान, दिल्ली के विज्ञापन 171 अनुभाग में प्रकाशित विज्ञापन का विरोध करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कडने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **विश्व प्रज्ञा प्रसारण संस्थान** नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापूर्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपूर्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतापट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के सधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 मा0 शिक्षा परिषद द्वारा संगठित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वार्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाफिशेश नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

- 158 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 168 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 178 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 188 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीनों में रखा जायेगा ।
- 198 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना बोर्ड परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

**प्रतिबंध यह भी है कि संस्था द्वारा मनवकनुसार पुस्तकालय का व निवृत्ति 02 मंथ में पूर्ण करा दिया जायेक ।**

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के तिर अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

**। विश्व प्रकाश प्रकाश ।**  
**विश्व प्रकाश प्रकाश ।**

पूर्वसंख्या एवं दिनांक तदैव


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **वाराणसी ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **वाराणसी ।**
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **पुनिसिरी पब्लिक स्कूल विश्व प्रकाश, मुंबई, वाराणसी ।**
- 6- गार्ड बुक ।



PRINCIPAL  
UNIVERSAL PUBLIC SCHOOL  
BABURI-CHANDAULI

आज्ञा   
**। विश्व प्रकाश प्रकाश ।**  
**विश्व प्रकाश प्रकाश ।**